बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 04तक0/अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी/16/2023

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम मद में बजट उपबंध रू0 2480.00 लाख (रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रू0 868.00 लाख (रूपये आठ करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के ऋण अग्रिम की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना अन्तर्गत **ऋण एवं अग्रिम** मद में बजट उपबंध रू0 2480.00 लाख (रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रू0 868.00 लाख (रूपये आठ करोड़ अड़सठ लाख) मात्र के ऋण अग्रिम की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत्यादेश संख्या-3552 दिनांक-22.09.2025 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन रु0 1612.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ बारह लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

3. राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण इनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में उद्यमी बनने से राज्य के औद्योगिकरण की दिशा में बल मिलेगा तथा राज्य के समावेशी आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को स्व रोजगार/उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है।

4. इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रू0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 लाख ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरांत इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सिन्नहित राशि की वसूली सरकारी भू-राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी।

5. प्रस्तावित राशि की निकासी मुख्यशीर्ष-6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-लघु उद्योग, उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना-सात निश्चय-2 विपत्र कोड-23-6851001020101, विषयशीर्ष-0101-55-01 **ऋण एवं अग्रिम** मद में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-204 दिनांक-04.02.2020 द्वारा मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो राज्य सरकार की चालू योजना है।

7. इस ऋण अग्रिम राशि की निकासी BTC Form- 50A पर की जायेगी।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से एकमुश्त

राशि बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के खाता संख्या-39442693684, IFS Code- SBIN0006379 में उपलब्ध करायेंगे, जिसका व्यय **मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना** में निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। राशि अदायगी एवं संधारण बिहार कोषागार संहिता के नियम 308 एवं 309 के आलोक में की जायेगी।

10. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 दिनांक-20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के कंडिका-2 के आलोक में किया जायेगा तथा पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि0 (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या 04तक0/अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी/16/2023 के पृष्ठ-53/टि0 पर दिनांक-12.01.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय पत्रांक-2890 दिनांक-20.03.2023 के आलोक में अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का संचिका संख्या 04तक0/अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी/16/2023 के पृष्ठ-53/टि0 पर दिनांक-15.01.2026 को अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अनिल कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-
सं0सं0- 04तक0/अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी/16/2023
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 130 /पटना, दिनांक- 27/01/2026
सं0सं0- 04तक0/अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी/16/2023
प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट (MMUY)/प्रभारी योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।